यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस.पी.एस.राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस.पी.एस.राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश देहरादून** के माह 04/2017 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन, जो श्री सीटी राम मीणा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री जितेन्द्र सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 28.01.2021 से 03.02.2021 तक श्री महेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनील दत्त सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मुकेश कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.01.2019 से 02.02.2019 तक श्री एस.के. वर्मा लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी ।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस.पी.एस.राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश देहरादून के क्रियाकलापों के अन्तर्गत चिकित्सालय के वित्तीय व प्रशासनिक नियन्त्रण, अस्पताल परिक्षेत्र में आने वाले जनसामान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना तथा चकित्सा से सम्बंधित अपने दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से सम्पन्न कराना है।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- ऋषिकेश नगर पालिका एवं निकट वर्ती क्षेत्र ।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**प्रा. अवशेष**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य/बचत**
2017-18	**--**	895.11	877.77	**--**
2018-19	**--**	1041.49	956.33	**--**
2019-20	**--**	1149.02	1147.92	**--**
2020-21 12/2020	**--**	110.64	940.91	**--**

(आ) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत, विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय का विवरण-

(इ)

वित्तीय वर्ष	प्रा. अवशेष	आवंटन	व्यय	अंतिम अवशेष
2017-18	14.27	116.93	111.40	19.80
2018-19	19.80	131.83	124.10	27.53
2019-20	27.53	103.63	110.65	20.51
2020-21 12/2020	20.51	122.94	99.60	43.85

(ii) इकाई "सी"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. प्रमुख सचिव/ सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन देहरादून
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी
4. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
5. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक / मुख्या चिकित्सा अधीक्षक
6. चिकित्सा अधीक्षक
7. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधिकारी
8. पैरामेडिकल संवर्ग / मिनिस्टीरियल संवर्ग

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस.पी.एस.राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस.पी.एस.राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2019 एवं 07/2020 को विस्तृत जांच हेतु तथा माह 02/2020 एवं 09/2020 को अंकगणितीय शुद्धता की जाँच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग II "ब"</u>

<u>प्रस्तरः01-(अ)</u> यूजर्स चार्जेज से प्राप्त धनराशि चिकित्सा प्रबन्धन समिति के बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़े रहना रूपये 34.35 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1309/ चि.-3-2003'30 /2003 चिकित्सा अनुभाग-3 दिनांक 30.सितम्बर 2003, चिकित्सा प्रबन्धन समितियों के गठन व क्रियाकलापों हेतु दिशानिर्देशों के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार- चिकित्सालय प्रबन्धन हेतु समिति द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जायेगा जिसमें सरकार से प्राप्त सहायता, यूजर्स चार्जेज से प्राप्त धनराशि व अन्य स्रोतों से प्राप्त दान रखा जायेगा; तथा समिति द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ मदों पर व्यय किया जायेगा । बैंक खाते का संचालन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / चिकित्सा अधीक्षक व जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी कार्यकारणी के सदस्य (जो वित्तीय नियमों की जानकारी रखता हो) के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जायेगा ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जाँच में पाया गया कि, यूजर्स चार्जेज से प्राप्त धनराशि रूपये 3435008 चिकित्सा प्रबन्धन समिति के यूनियन बैंक ऋषिकेश में संचालित चालू खाता संख्या 306901010029336 में आतिथि तक अप्रयुक्त पड़ी हुई थी जिसका उपयोग समिति द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ मदों पर किया जाना प्रावधानित था ।

आगे जाँच में पाया गया कि, विगत दो वर्षों से चिकित्सा प्रबन्धन समिति द्वारा न तो कोई योजना की स्वीकृति दी गई और न ही चिकित्सालय में कोई जन कल्याणकारी कार्य का निष्पादन कराया गया जिसमें यूजर्स चार्जेज से प्राप्त धनराशि रूपये 3435008 का उपयोग किया जा सके।

परिणाम स्वरुप यूजर्स चार्जेज से प्राप्त धनराशि रूपये 3435008 दो वित्तीय वर्षों से भी अधिक अवधि (आतिथि) तक अउपयोगित पड़ी रही जो उपरोक्त शासनादेश के दिशानिर्देशों की अवहेलना थी ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की गई और अपने उत्तर में कहा गया कि, चिकित्सालय की आवश्यकतानुसार धनराशि व्यय की जाती है ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि, उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार- चिकित्सालय प्रबन्धन हेतु समिति द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर यूजर्स चार्जेज से प्राप्त धनराशि व अन्य स्रोतों से प्राप्त दान रखे जाने तथा समिति द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ मदों पर व्यय किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु इकाई की चिकित्सा प्रवंधन समिति द्वारा किसी परियोजना को तैयार / स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण धनराशि बैंक खाते में जमा थी ।

अतः यूजर्स चार्जेज से प्राप्त धनराशि चिकित्सा प्रबन्धन समिति के बैंक खाते में रूपये 34.35 लाख की धनराशि अप्रयुक्त पड़े रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>भाग II "ब"</u>

<u>प्रस्तरः01-(ब)</u> विभिन्न माध्यमों से प्राप्त धनराशि के जमा पर चिकित्सा प्रवंधन समिति के नाम संचालित चालू खाता पर ब्याज अर्जित नहीं किये जाने के कारण ब्याज की हानि ।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 236/ चि.-2-2003-42 /2003 चिकित्सा अनुभाग-2 दिनांक 24 मार्च 2003, द्वारा उत्तराँचल के जिला चिकित्सालयों राजकीय संयुक्त चिकित्सालयों एवं बेस चिकित्सालयों आदि के प्रवन्धन हेतु प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चिकित्सा प्रबन्धन समितियों के गठन किये जाने हेतु निर्गत निर्देशों के अनुसार समिति के उद्देश्य निम्नलिखित थे ।

[1] समिति का मुख्य उद्देश्य स्वायत्व एवं स्वतन्त्र रूप से धनराशि प्राप्त कर, उसका उपयोग चिकित्सालय द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार करना है । इसके लिए समिति शासन से प्राप्त धनराशि के साथ-साथ अन्य स्रोतों यथा उपभोक्ता प्रभार, अन्य सेवाओं व सुविधाओं से प्राप्त धनराशि के अलावा दान आदि से भी धनराशि प्राप्त कर सकती है ।

[14] अपने उद्देश्यों को यथोचित ढंग से संचालन करने हेतु निधियां प्राप्त एवं उनकी व्यवस्था करना ।

[16] ऐसे उपाय करना जो बिन्दु संख्या 1 से 15 तक के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक एवं अनुभाषित हों ।

इसी अनुक्रम में प्रवन्ध कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्यों के बिन्दु संख्या (3) क्रम संख्या के अनुसार संचालक मंडल द्वारा पारित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वित् करने हेतु समिति के नियमों के अंतर्गत वित्तीय संसाधन जुटाने का प्रयास करना (10) समिति का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलवाया जायेगा तथा इसका संचालन कार्यकारिणी समिति द्वारा अधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जाँच में पाया गया कि, चिकित्सा प्रवंधन समिति के नाम से यूनियन बैंक ऋषिकेश में संचालित चालू खाता संख्या 306901029336 में चिकित्सालय द्वारा जमा की गई धनराशियों पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा था । जवकि प्रवन्ध कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्यों के बिन्दु संख्या (3) के अनुसार संचालक मंडल द्वारा पारित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वित् करने हेतु समिति के नियमों के अंतर्गत वित्तीय संसाधन जुटाने का प्रयास किया जाना उल्लेखित था; परन्तु चिकित्सालय द्वारा जमा की गई धनराशियों पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिए जाने के परिणामस्वरूप विभिन्न माध्यमों से प्राप्त धनराशि के जमा पर ब्याज अर्जित नहीं किये जाने के कारण जहाँ एक ओर चिकित्सालय / प्रवंधन समिति को प्राप्त होने वाली ब्याज की धनराशि की हानि हुई, वहीँ दूसरी ओर जानबूझ कर बैंक को ब्याज का अदेय लाभ दिया गया ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वतः स्वीकार किया गया और कहा गया कि, उपरोक्त खाते को बचत खाते में परिवर्तित करने हेतु सक्षम स्तर से अनुमति लेने की कार्यवाही की जाएगी ।

अतः विभिन्न माध्यमों से प्राप्त धनराशि के जमा पर चिकित्सा प्रवंधन समिति के नाम संचालित चालू खाता पर ब्याज अर्जित नहीं किये जाने के कारण एक ओर चिकित्सालय को ब्याज की हानि वहीं दूसरी ओर जानबूझ कर बैंक को ब्याज का अदेय लाभ पहुंचाए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग II "ब"

प्रस्तरः02- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रदान की गई निःशुल्क चिकित्सा सुविधा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा नहीं किया जाना रुपये 19.21 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 613/XXVIII-4-2011-41 चिकित्सा अनुभाग-4 देहरादून दिनांक 23 सितम्बर 2011, द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अन्तर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी चिकित्सालयों (जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) के सामान्य वार्डों में होने वाले सामान्य एवं सिजेरियन प्रसवों तथा 30 दिन तक के बीमार नवजात शिशुओं के इलाज हेतु निशुल्क उपचार सुविधाएँ प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या **3 अन्य प्राविधान** (3) के अनुसार योजना के लागू होने से पूर्व लाभार्थी से जो भी अनुमन्य उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) अस्पताल द्वारा लिए जाते थे अब वह उपरोक्त व्यवस्था के लागू होने के उपरान्त राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा अस्पताल को प्रतिपूर्ति के रूप में दिए जायेंगे । यूजर चार्जेज के प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हो रही धनराशि के प्रयोग के सम्बन्ध में चिकित्सालयों के चिकित्सा प्रबन्धन समितियों के लिए पूर्व निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में जाँच के दौरान पाया गया कि, चिकित्सालय द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा अवधि में कुल 26490 लाभर्थियों को प्रदान की गई निःशुल्क चिकित्सा सुविधा में औषधियों, परिक्षणों, ई.सी.जी. एवं अन्य सुविधाओं पर रुपये 11639127 की धनराशि का व्यय किया गया जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा अस्पताल को प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाना था ।

परन्तु चिकित्सालय द्वारा किये गए व्यय रुपये 11639127 के सापेक्ष मात्र रुपये 9717660 की ही प्रतिपूर्ति की गई तदनुसार रुपये 1921467 की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा नहीं की गई थी । फलस्वरूप यूजर चार्जेज के प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि के प्रयोग नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप चिकित्साल की चिकित्सा प्रवन्धन समिति को रुपये 1921467 की निधि के उपयोग से वंचित रहना पड़ा; जो उपरोक्त शासनादेश के उपबन्धों की अवहेलना थी ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वतः स्वीकार किया गया और कहा गया कि, चिकित्सालय

द्वारा किये गए रुपये 1921467 की प्रतिपूर्ति हेतु पत्राचार महानिदेशक से किया जायेगा ।

अतः जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अन्तर्गत लाभर्थियों को प्रदान की गई नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा पर व्यय धनराशि रुपये 1921467 की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा नहीं किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>भाग II "ब"</u>

<u>प्रस्तरः03-</u> जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत 1141 लाभार्थियो को रु 15.20 लाख भुगतान लम्बित रहना|

जननी सुरक्षा योजना का प्रारम्भ वर्ष 2006-07 मे हुआ था जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओ को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना की निर्देशिका के अनुसार सरकारी अस्पतालो मे संस्थागत प्रसव कराने पर महिला को प्रोत्साहन राशि के रूप मे ग्रामीण क्षेत्र मे रु 1400 एवं शहरी क्षेत्र मे रु 1000 का भुगतान चेक/बैंक खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए इस योजना के अनुसार यह प्रोत्साहन राशि सिर्फ लाभार्थियो को ही दी जानी है । किसी संबंधी व रिश्तेदार को नहीं दी जानी है इसके अतिरिक्त यदि जननी सुरक्षा योजना के भुगतान प्रसव के सात दिनो के बाद किया जाता है तो ऐसे भुगतान को अनुचित माना जाएगा।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस.पी.एस.राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश के वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के जननी सुरक्षा योजना से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि योजना से संबन्धित लाभार्थियो को अधतन किए जाने वाले भुगतान मे रु 1327600/- का भुगतान लंबित था (विवरण निमन्वत)

वर्ष	**ग्रामीण प्रसव**	**शहरी प्रसव**	**ग्रामीण प्रसव हेतु प्रदत धनराशि (1400 प्रति)**	**ग्रामीण प्रसव हेतु लंबित धनराशि**	**शहरी प्रसव हेतु प्रदत धनराशि (1000 प्रति)**	**शहरी प्रसव हेतु लंबित धनराशि**	**कुल लंबित धनराशि**
2017-18	**1018**	**484**	**1279600**	**145600**	**437000**	**47000**	**192600**
2018-19	**1286**	**565**	**1471400**	**329900**	**563000**	**2000**	**331000**
2019-20	**1475**	**900**	**1548400**	**516600**	**836000**	**64000**	**580600**
2020-21 (दिसम्बर 2020तक)	**948**	**614**	**991200**	**336000**	**534000**	**80000**	**416000**
योग							**1520200**

यहा यह भी वर्णित किया जाना उचित है कि विगत लेखापरीक्षा मे भी यहा मुद्दा उठाया गया था जोकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मे शामिल किया गया था । विगत लेखापरीक्षा तक उक्त धनराशि रु 606800/- थी जो अब बढ़कर रु 1520200/- हो गई जिससे स्पष्ट है की उक्त योजना को इकाई द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया ।

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि लाभार्थियो द्वारा आवेदन नहीं किए जाने एवं भुगतान हेतु वांछित प्रपत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण भुगतान मे विलंब/समस्या होती है । इकाई का उत्तर स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इकाई द्वारा विगत लेखापरीक्षा मे उठये जाने के बाद भी योजना से संबन्धित भुगतान के संबंध मे उचित कदम नहीं उठाए गए । जोकि इकाई द्वारा गम्भीर लापरवाही को घोतक है ।

जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत रु 15.20 लाख के भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है

<u>भाग II "ब"</u>

<u>प्रस्तर:04-</u> निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय के वाहनों से संबन्धित अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि निम्नलिखिलित वाहन निष्प्रयोज्य/ऑफ रोड पड़े हुये है;

वाहन का प्रकार	मॉडल /वर्ष	रजिस्ट्रेशन संख्या	पुस्तकीय मूल्य	अनुमानित मूल्य	निष्प्रयोज्य होने का माह /वर्ष
रोगी वाहन स्वराज मजदा	**1999**	UP32Z2254	--	--	**फरवरी-2014**
रोगी वाहन (मारुती ओमनी)	**2000**	UA 07C8640	--	--	**फरवरी-2014**
रोगी वाहन (टेम्पो ट्रेवलर)	**2005**	UA0702382	--	--	**ऑफ रोड (दिसम्बर 2016 से)**
एम्बुलैंस	--	UA07A9777	--	--	--
जीप	--	--	--	--	--
मेटाडोर	--	--	--	--	--

लेखापरीक्षा मे देखा गया कि:

1) उक्त दोनों वाहन पंजीकरण संख्या UP32Z-2254 एवं UA07C-8640 (स्वराज मजदा एवं मारुति ओमनी) को लेखापरीक्षा तिथि (फरवरी 2020) तक नीलाम नहीं किया गया था जबकि इसे निष्प्रयोज्य घोषित किए लगभग छह वर्ष का समय होने वाला है।
2) एक अन्य वाहन टेम्पो ट्रैवलर रजिस्ट्रेशन संख्या UA07D-2382 दिसम्बर 2016 से ऑफ रोड है तथा इसे उपयोग मे नहीं लाया जा रहा है एवं इसे लेखापरीक्षा तिथि तक निष्प्रयोज्य घोषित नहीं किया गया था।
3) एम्बुलेंस संख्या UK07A9777 के निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने की तिथि इकाई ने नहीं उपलब्ध करायी है साथ ही एक जीप व एक मेटाडोर जीर्ण शीर्ण हालत में चिकित्सालय परिसर में पड़ी है ।उक्त वाहनों का पुस्तकीय मूल्य (Book Value) इकाई द्वारा नहीं बताया गया।

उक्त सभी वाहनो को नीलाम न किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उपरोक्त वाहनो की नीलामी संबंधी कार्यवाही गतिमान है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि विगत लेखापरीक्षा में उक्त मुद्दा उठाये जाने के बावजूद भी उपरोक्त वाहन काफी समय से ख़राब/ निष्प्रयोज्य पड़े हुए है, जिनकी नियमानुसार नीलामी नहीं की गयी है परिणामस्वरूप उक्त सामग्री का दिन प्रतिदिन ह्रास हो रहा है। वाहनों को शिघ्रातिशीघ्र नीलाम कर इससे प्राप्त धनराशि को कोषागार के माध्यम से राजकीय कोष मे जमा किया जाना चाहिये जो कि नहीं किया गया है।

अतः उक्त प्रकरण उच्चधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:01-</u> चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी होना ।

चिकित्सालय के स्वीकृत अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों के सापेक्ष नियुक्त/कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्टाफ की तैनाती संबंधी लेखाभिलेखों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कार्यालय के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न पदों के सापेक्ष काफी पद रिक्त थे जिंका विवरण निमन्वत है :-

क्र सं	पद का नाम	स्वीकृत पद	नियुक्त पद (प्रतिशत)	रिक्त पद (प्रतिशत)
1	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	01	01	00
2	फिजिशियन	02	01	01
3	सर्जन	02	01	01
4	स्त्री रोग विशेषज्ञ	02	02	00
5	बाल रोग विशेषज्ञ	02	01	01
6	एनेस्थेटिस्ट	02	01(प्रतिनियुक्ति पर)	01
7	नेत्र सर्जन	01	01	00
8	हड्डी रोग विशेषज्ञ	01	01	00
9	रेडियोलोजिस्ट	01	01	00
10	पैथोलोजिस्ट	01	01	00
11	ई एन टी सर्जन	01	00	01
12	चर्म रोग विशेषज्ञ	01	00	01
13	मनोरोग विशेषज्ञ	01	00	01
14	माइक्रो बायोलोजी	01	00	01
15	फॉरेंसिक	01	00	01
16	चिकित्सा अधिकारी	10	13	00
17	सहायक मात्रिका	01	00	01
18	चीफ फार्मासिस्ट	04	02	02
19	फार्मासिस्ट	06	07	00
20	सिस्टर	09	06	03
21	उपचारिका	23	24	00
22	प्रयोगशालाविधिज्ञ	02	02	00
23	एक्स रे टेकनिशियन	01	01	00
24	डार्क रूम सहायक	01	01	00
25	नेत्र सहायक	01	01	00
26	डेंटल हाईजेनिस्ट	01	01	00
27	फिजियोथेरेपिस्ट	01	01	00
28	ई सी जी टेकनिशियन	01	01	00
29	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	00	01
30	प्रशासनिक अधिकारी	01	01	00
31	प्रधान सहायक	01	01	00
32	कनिष्ठ सहायक	01	01	00
33	कनिष्ठ सहायक (अधि	00	03	00

	सं)			
34	कार्यालय चपरासी	01	00	01
35	वाहन चालक	02	02	00
36	स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पु.)	01	00	01
37	स्वास्थ्य कार्यकर्ती (म.)	01	01	00
38	स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (म.)	01	00	01
39	नर्सिंग सहायक	02	01	01
40	ओ टी अटेंडेंट	01	01	00
41	कक्ष सेवक	14	03	11
42	कक्ष सेविका	07	02	05
43	चौकीदार	03	02	01
44	माली	01	01	00
45	सफाई सेविका	03	01	02
46	सफाई सेवक	01	00	01
कुल		123	83+08(अधिसंख्यक)(67%)	40(33%)

ट्रॉमा यूनिट के लिए स्वीकृत पद)

क्र सं	पद का नाम	स्वीकृत पद	नियुक्त पद (प्रतिशत)	रिक्त पद (प्रतिशत)
1	सर्जन	02	00	02
2	और्थोपेडिक सर्जन	02	01	01
3	रेडियोलोजिस्ट	02	00	02
4	निश्चेतक	02	00	02
5	ई.एम.ओ.	03	00	03
6	सिस्टर	02	01	01
7	उपचारिका	06	06	00
कुल		19	08 (42%)	11 (58%)

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि चिकित्सालय के अधिकांश पद रिक्त थे, विशेषकर चिकित्साधिकारी एवं चिकित्सालय के संचालन हेतु पैरा मेडिकल स्टाफ । महत्वपूर्ण पदों के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ्य सेवा एवं योजनाओं के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों में कठिनाई होना स्वाभाविक है तथा स्थानीय जनता को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता । लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि रिक्त पदों पर शासन/महानिदेशालय द्वारा तैनाती की जाती है, इस संबंध में पत्राचार किया जाएगा । इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि विगत लेखापरीक्षा में मुद्दा उठाया जाने के बावजूद भी स्टाफ की कमी के संबंध में इकाई द्वारा समुचित प्रयास नहीं किए गए । प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
109/2005-06	1	4	-
145/2008-09	-	1,2	-
34/2012-13	1	1,4,5	-
111/2016-17	1	1,2	1
245/2018-19	**1**	**1,2,3,4,5एवं 6**	**1**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
109/2005-06	**भाग-दो-अ-1** **भाग-दो-ब-4**	**कार्यालय द्वारा अदद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुतु नहीं की गई।**	**अदद्यतन अनुपालन आख्या के अभाव मे प्रस्तर यथावत रहेगा।**	
145/2008-09	**भाग-दो-ब-1**,2	**तदैव**	**तदैव**	
34/2012-13	**भाग-दो-अ-1** **भाग-दो-ब-1**,4,5	**तदैव**	**तदैव**	
111/2016-17	**भाग-दो-अ-1** **भाग-दो-ब-1**,2 STAN-1	**तदैव**	**तदैव**	
245/2018-19	**भाग-दो-अ-1** **भाग-दो-ब1,2,3,4,5 एवं 6**	**अप्रस्तुत** **भाग-दो 'ब' प्रस्तर सं -01,02 एवं 06 प्रस्तुत**	**तदैव** **भाग -II 'ब के प्रस्तर संख्या1 एवं 2 को नवीनतम लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रस्तर को भाग -II 'ब'प्रस्तर संख्या06 एवं 05 के रूप में अद्यतन कर लिया गया है -भाग-दो-**	**तदैव**

	STAN-1	STAN-1 **प्रस्तुत**	**ब प्रस्तर संख्या 6 को इकाई द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर निस्तारित किया जाता है** **प्रस्तर** STAN-1 **को भाग -II 'ब'प्रस्तर संख्या-07 के रुप मे अद्यतन किया गया**	

अभियुक्ति:- अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के संबंध मे इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि उच्चाधिकारी की संस्तुति के साथ प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस.पी.एस.राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः विगत लेखापरीक्षा के प्रस्तरों की आख्या
2. सतत् अनियमितताएः---------- शून्य ----------
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र. सं	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा.एस.के. तोमर	मु.चि. अधीक्षक	12/ 2019 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस.पी.एस.राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी-I